भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2296
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यशील शिशु-गृह (क्रेच)

2296. श्री सचिदानन्दम आर. :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत शिशु-गृहों (क्रेच) की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या यह संख्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु-गृहों के कवरेज का विस्तार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के अंतर्गत पालना योजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना है।

महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार पर सरकार की निरंतर पहलों के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक महिलाएं अब अपने घरों के भीतर या बाहर काम करते हुए लाभकारी रोजगार में हैं। उचित डे-

केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकती है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता है।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखरेख और सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्रेच सेवाएं बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देती हैं, जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। देखरेख कार्य को औपचारिक रूप देने से सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" को सहयोग मिलता है। इससे और अधिक माताएँ भी समर्थ होंगी, जो अवैतनिक बाल-देखरेख की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होंगी और लाभकारी रोज़गार अपना सकेंगी।

आंगनवाड़ी केन्द्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखरेख संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखरेख और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक देखरेख सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के पहले प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखरेख की सेवाओं का विस्तार किया है। इससे पूरे दिन बच्चों की देखरेख सुनिश्चित होगी तथा सुरक्षित वातावरण में उनकी तंदुरुस्ती सुनिश्चित होगी। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' को बढ़ाना है। पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (आयु 6 माह से 6 वर्ष तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

पालना एक मांग आधारित योजना है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, और अधिक आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) खोलने के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में प्रोत्साहित किया जाता है। ये बैठकें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ सालाना आयोजित की जाती हैं। पीएबी की बैठकों में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच खोलने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है और अनुमोदित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच को कार्यान्वित करने पर जोर दिया जाता है।

अब तक देशभर में 2,820 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच कार्यशील हैं। पालना योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यशील आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यशील शिशु-गृह (क्रेच)" के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2296 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यशील आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील आंगनवाड़ी-सह-क्रेच
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	43
3.	असम	50
4.	बिहार	85
5.	चंडीगढ़	210
6.	छत्तीसगढ़	205
7.	दिल्ली	502
8.	गोवा	9
9.	हरियाणा	290
10.	झारखंड	80
11.	केरल	129
12.	लद्दाख	6
13.	मेघालय	84
14.	मिजोरम	200
15.	नागालैंड	270
16.	पुदुच्चेरी	9
17.	पंजाब	144
18.	सिक्किम	25
19.	तेलंगाना	8
20.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	68
21.	त्रिपुरा	114
22.	उत्तराखंड	34
23.	कर्नाटक	248
	कुल	**2,820**

*****